संख्या:- 3688(1)/71-2-2016/ 81/2016

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-20575/2016 (एम0बी0) में पारित आदेशों के अनुपालन में पुनः काउंसिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-20575/2016 (एम0बी0) एवं अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं में दिनॉक-15.09.2016 को पारित आदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016 दिनॉक-02.9.2016 के बिन्दु संख्या-1 एवं 2 को वर्तमान सत्र 2016-17 हेतु निष्क्रीय घोषित करते हुए तदनुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग पुनः कराने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संशोधित काउंसिलिंग समय-सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है:-

डी0-नोवो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग	दिनॉक- 20 से 25 सितम्बर, 2016
डी0-नोवो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के क्रम में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक- 25 सितम्बर, 2016
राजकीय कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग	दिनॉक-26 से 28 सितम्बर, 2016
राजकीय कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के क्रम में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक-29 सितम्बर, 2016
मॉप-अप-राउण्ड	दिनॉक-29 एवं 30 सितम्बर, 2016
समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक-30.9.2016

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नव-निर्धारित समय-सारणी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या-3688/71-2-2016-81/2016 दिनॉक-31.8.2016 के प्राविधानों में निम्नानुसार संशोधन/अतिरिक्त प्राविधान किये गयें है:-

1. डी0-नोवो प्रथम चक्र हेतु पृथक से काउंसिलिंग शुल्क नहीं लागू होगा।
2. निजी क्षेत्र एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑन-लाईन पंजीकरण की सुविधा दिनॉक-18.9.2016 से दिनॉक-22.9.2016 तक पुनः उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर निजी क्षेत्र के कालेजों (अल्पसंख्यक संस्थान सहित) हेतु कम्बाईण्ड काउंसिलिंग करायी जायेगी।

कम्बाईण्ड काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में अभ्यर्थियों का आवंटन इस प्रकार से हो कि सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रवेश क्षमता की न्यूनतम 50 प्रतिशत सम्बन्धित अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों से हो।

3. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाईन भुगतान की सुविधा दिनॉक-20.9.2016 से दिनॉक-25.9.2016 के मध्य तकनीकी संस्था के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
4. मेरठ एवं कानपुर के काउंसिलिंग केन्द्रों पर सुगम काउंसिलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एवं प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को कम्बाईण्ड काउंसिलिंग बोर्ड के सह-सदस्य के रूप में नामित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में आवंटन/प्रवेश प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/अल्संख्यक संस्थान/विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय के 03 प्रतिनिधि काउंसिलिंग बोर्ड में विशेष आमंत्री के रूप में नामित किये जायेंगे।

4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार काउंसिलिंग सम्पन्न करा ली जाये तथा तद्नुसार उचित व्यवस्था निर्धारित करते हुए समस्त प्रतिभागी काउंसिलिंग केन्द्रों को तत्काल सख्त आदेश निर्गत करें। काउंसिलिंग हेतु अन्य व्यवस्थाएँ शासनादेश संख्या-3688/71-2-2016-81/ 2016 दिनॉक-31.8.2016 की भाँति यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 3688(1)/71-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
4. काउंसिलिंग बोर्ड में शासन द्वारा नामित सदस्यगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।